



कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com



क्रमांक/पैरा.शाखा/सिम्स/2025/10220

छिन्दवाड़ा, दिनांक: 28.08.25

// सूचना //

संस्था द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु जारी विज्ञापन क्र./पैरा. शाखा/सिम्स/2025/9398, छिन्दवाड़ा दिनांक 04/08/2025 के द्वारा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। आवेदकों द्वारा प्राप्त आवेदनों में प्रविष्ट की गई जानकारी के आधार पर तथा विज्ञप्ति में उल्लेखित मेरिट सूची तैयार करने के मापदण्डानुसार प्रावधिक मेरिट सूची जारी करते हुए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदकों के प्रथम चरण काउंसलिंग हेतु मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं पाठ्यक्रम आवंटन हेतु निम्नानुसार समय-सारणी घोषित की जाती है:-

मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं पाठ्यक्रम आवंटन का स्थल:-	डिमेंस्ट्रेशन रूम-1, एनाटॉमी विभाग, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
---	---

स. क्र.	कार्यक्रम	तिथि एवं समय
1	(क) विभागीय कोटे के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम का आवंटन। (ख) दिव्यांग कोटे के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम का आवंटन। (ग) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम का आवंटन। (घ) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावधिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 01 से 70 तक के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण। (MP Board and CBSE)	मंगलवार दिनांक 02.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 06 बजे तक
2	(क) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावधिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 71 से 140 तक के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण। (MP Board and CBSE के अभ्यर्थियों) के लिए।	बुधवार दिनांक 03.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 06 बजे तक
3	(क) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावधिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 141 से 210 तक के आवेदकों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण। (MP Board and CBSE के अभ्यर्थियों) के लिए।	गुरुवार दिनांक 04.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 06 बजे तक

4	सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावधिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 01 से 210 तक के तीनों दिवस में अनुपस्थित आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए मूल दस्तावेजों का परीक्षण।	सोमवार दिनांक 08.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 06 बजे तक
---	---	---

नोट:-

1. उपरोक्त निर्धारित समय-सारणी को सावधानीपूर्वक पढ़ें एवं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदक को दस्तोवेज परीक्षण के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. कोर्स आवंटन के पश्चात् अवंटित कोर्स की फीस 02 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। फीस जमा न होने की स्थिति में अगले मेरिटधारी अभ्यर्थी को सीट आवंटित कर दी जावेगी। अतः फीस जमा करने के लिए अलग से समय नहीं दिया जावेगा।
3. काउंसलिंग एवं कोर्स आवंटन के सभी चरणों की जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा एवं संस्था की वेबसाइट www.governmatemedicalcollegechhindwara.com में अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी को पृथक से ई-मेल, एस.एम.एस., टेलीफोन एवं रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वकीर नहीं किया जाएगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच व काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे।
5. किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति न होने पर काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित करने एवं उक्त दस्तावेजों को जमा करने हेतु समय देने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा।
6. समस्त आवेदक मूल दस्तावेजों के परीक्षण के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज तथा उसी क्रम में 02 सेट स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लावें:-
 - (i) 10 वीं की अंकसूची।
 - (ii) 12 वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)।
 - (iii) स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
 - (iv) माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
 - (v) म.प्र. का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
 - (vi) आरक्षित वर्ग (ST/SC/OBC) के आवेदक हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
 - (vii) अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2025-26)
 - (viii) EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2025-26)
 - (ix) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (x) 02 पासपोर्ट साइज फोटो।
 - (xi) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (xii) गैप शपथ पत्र (यदि लागू हो तो)।
 - (xiii) आधार कार्ड।
 - (xiv) किसी भी मूल दस्तावेजों के उपलब्ध न होने की स्थिति में 100 रु के स्टॉम्प में मूल दस्तावेजों का नाम उल्लेखित कर 07 दिवस के भीतर मूल दस्तावेज जमा करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

for

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)